

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 2643
(01 दिसम्बर, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विधवाओं को पशन

2643. डॉ. उदित राज:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पशन योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को मासिक पशन प्रदान करती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार उपयुक्त वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष से कम करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार 18 से 40 वर्ष के बीच की विधवाओं को मासिक पशन प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राम कृपाल यादव)

(क): जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों की 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रु. की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पशन योजना से अलग कर दिया जाता है और उन्हें प्रति माह 500 रु. की बढ़ी हुई पशन राशि मिलने

() () : ई , ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
